न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, साहेबगंज।

मुटेशन अपील वाद सं0–06/2018–19

भरत मण्डल –: बनाम :– झारखण्ड सरकार वगै0

अपीलार्थी

भरत मण्डल, पिता–स्व0 सीताराम मण्डल,
सा0–सकरीगली नया टिक्कर,
थाना–साहेबगंज (मु0), जिला–साहेबगंज,

विपक्षीगण

1.झारखण्ड सरकार (अंचल अधिकारी, साहेबगंज),
2.16/आना रैयत, मौजा–रामपुर करारा,
3.विसवनाथ लाल, पिता–स्व0 मुनीलाल,
4.रेणु देवी, पति–स्व0 वेदप्रकाश लाल,
5.सुरेश लाल, पिता–स्व0 मुनीलाल,
सभी सा0–शुक्रबाजार, सकरीगली,
थाना–साहेबगंज (मु0), जिला–साहेबगंज,

–:आदेश:–

यह अपील अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक–12.09.2018 को अंचल अधिकारी, साहेबगंज के नामान्तरण वाद सं0–01/2018–19, आदेश तिथि–02.07.2018 के विरूद्ध दायर किया गया। अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर विलम्बक्षान्त हेतु आवेदन पर सुनने के पश्चात विलम्बक्षान्त करते हुए अपीलवाद को अंगीकृत किया गया। उभय पक्ष को न्यायालय द्वारा नोटिस तामिला कराई गई एवं अंचल अधिकारी, साहेबगंज से उक्त मुटेशन वाद से संबंधित मूल अभिलेख की मांग की गई। अंचल अधिकरी, साहेबगंज ने पत्रांक–54/रा0, दिनांक–20.01.2020 द्वारा इस न्यायालय को याचित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया गया। मूल अभिलेख की प्राप्ति के उपरांत उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित होकर अंचल अधिकारी, साहेबगंज का नामान्तरण वाद सं0–01/2018–19 से संबंधित वाद मौजा–रामपुर करारा, जमाबन्दी नं0–88, दाग नं0–188, रकवा–04–00–00 धूर जमीन पर अपीलार्थी के द्वारा निबंधित डीड सं0–1473/दिनांक–03.10.1947 के आलोक में दावा किया गया। अपीलार्थी द्वारा सभी जमीनी कागजात जल जाने के कारण नामान्तरण नहीं कराने या विलम्ब होने के कारण से न्यायालय को अवगत कराया। अपीलार्थी द्वारा पैतृक सम्पति दाताराम दियर के नाम से निबंधित डीड सं0–1473/दिनांक–03.10.1947 में प्राप्त है और वह 1947 से अपीलार्थी और उसके गोतियों के कब्जे में है। दाताराम दियर के तीन बेटे थे, जिनका नाम सीताराम मण्डल, बांकेलाल मण्डल और नारायण मण्डल था। भरत मण्डल सीताराम मण्डल के पुत्र है और ये याचिकाकर्त्ता दिवगंत बांकेलाल मण्डल के उत्तराधिकारी है। बांकेलाल मण्डल के वारिस भी सम्पति का हिस्सेदार है।

आपत्तिकर्त्तागण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया कि आवेदक द्वारा दायर किया गया मुटेशन अपील वाद चलने लायक नहीं है उसे तत्काल खारिज किया जाना चाहिए। ऐसा मालुम होता है कि आवेदक किसी फर्जी केवाला जो कथित रूप से 1947 का बना है उसके आधार पर नामान्तरण का दावा करता है, जो सरासर गलत है। इतना विलम्ब के बाद नामान्तरण का आवेदन देने का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया है। उसे तत्काल खारिज कर दिया जाना चाहिए। विपक्षियों की अपनी नीज पुस्तैनी जमीन मौजा–रामपुर करारा के जमाबन्दी नं0–88, दाग नं0–188, रकबा–02–10–02 धूर जमीन एवं दाग नं0–66, रकवा–01–10–17 धूर जमीन विपक्षियों के दादा हजारी लाल के नाम से खतियान में दर्ज है। विपक्षियों के दादा ने कभी उक्त जमीन किसी से बिक्री नहीं किया है, लेकिन अभी इस प्रकार का केस करने से स्पष्ट नामान्तरण का आवेदन लम्बे समय बाद देना उचित नहीं है।

Digitally signed by JAY BARDHAN KUMAR
Date: 2023.06.06 17:04:18 +05:30
Location: 192.168.1.14

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात लिखित रूप से दिये गये अपने पक्ष से संबंधित तथ्य का अवलोकन किया। अवलोकन के क्रम में पाया कि श्री भरत मण्डल, पिता–स्व0 सीताराम मण्डल, सा0– सकरीगली नया टिक्कर, थाना– साहेबगंज (मु0), जिला–साहेबगंज के पूर्वज